198

आरई अज–172

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
हाथीभाटा, पावर हाऊस, अजमेर

क्रमांक : अविविनिलि / अ.अ. (योजना) / प्रे. F=2082 दिनांक 28 JUN 2008

संशोधित आदेश

विषयः– वर्ष 2008–09 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में ।

अजमेर डिस्कॉम के आदेश क्र. अविविनिलि / अ.अ. (योजना) / प्रे. 9816 दिनांक 31.3.08 (आरई अज–160) के बिन्दु संख्या 1 भाग (II) तथा अविविनिलि / अ.अ. (योजना) / प्रे. 56 दिनांक 2.4.08 (आरई अज–161) द्वारा सामान्य कृषि श्रेणी के 31 मार्च 2003 तक विचाराधीन आवेदकों, समस्त स्पेशल श्रेणी के आवदेकों, समस्त अनुसूचित जाति के आवेदको तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदको के 50 प्रतिशत आवेदकों के मांग पत्र 15 अप्रैल 2008 तक जारी करने तथा शेष आवेदको के मांग पत्र 15 जुलाई 08 से 31 जुलाई 08 तक जारी करने का निर्णय लिया गया है ।

कृषि नीति–2004 (संशोधित 30.9.07) के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है ।

अतः समस्त अनुसूचित जाति के आवेदको तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र तुरन्त जारी कर दिये जाये ।

27/6

(ई. बी.एम. गोयल)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

(57)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जयपुर, डिस्कॉम एवं अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
4. प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5. निदेशक (वित्त), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
7. मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर ।
9. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
10. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि. .... ।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
12. प्रावेधिक–सहायक प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर ।
13. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि.,.................................. ।
15. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
16. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
17. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के सूचनार्थ ।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)